स्वतंत्र निदेशकों के परिचयात्मक कार्यक्रम पर कॉनकॉर की नीतियां

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों का परिचयात्मक कार्यक्रम निदेशक मंडल द्वारा लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 49 के अनुसार अपनाया गया है।

कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों को परिचित कराने के लिए लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 49(II)(बी)(7) को स्टॉक एक्सचेंज के साथ जोड़ा गया है। लिस्टिंग एग्रीमेंट में स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों तथा कंपनी के उद्योग और व्यापार मॉडल की प्रकृति आदि से परिचित कराया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में, कॉनकॉर के स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के संरचित कार्यक्रम के अनुसार अपने आप को सतत् आधार पर कंपनी के व्यापार और परिचालन के कार्य को समझना व खुद को अद्यतन रखेंगे। निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए कंपनी की मौजूदा नीति के अलावा परिचयात्मक कार्यक्रम/मॉड्यूल और समय-समय पर प्रस्तुति/डेमोज को शामिल करना व कॉनकॉर की कार्यनीति, संचालन और कार्यों से उन्हें परिचित करवाना होगा। इससे कॉनकॉर के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के साथ बातचीत और उन्हें नियामक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझने व निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। इस संबंध में निम्न बाते है:-

1. कंपनी के लिए लंबी और छोटी अवधि की व्यापार कार्यनीतियों का निर्माण करना।
2. कुशल प्रबंधन की रूपरेखा तैयार करना और कंपनी के मामलों की समीक्षा सहित कॉर्पोरेट योजना, वार्षिक बजट आदि तैयार करना।
3. प्रभावी संगठन संरचना का विकास, जोखिम प्रबंधन के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
4. समय-समय पर प्रासंगिक विधियों और नियमों के तहत अनुपालन सुनिश्चित करना।

*****